साहित्य, संस्कृति, संस्कार और संयम पर मंथन, डॉ. अनिल कुमार दुबे को मिला 'गुरु वशिष्ठ सम्मान'

पीपुल्स प्रवक्ता, दतिया।

हिंदी महोत्सव के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार जगत शर्मा और भानू शर्मा के संयोजन में होटल ब्लू स्टार में अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश-प्रदेश के साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों एवं साहित्यप्रेमियों ने सहभागिता कर साहित्य, संस्कृति, संस्कार और संयम जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दतिया के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार दुबे को साहित्यिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'गुरु वशिष्ठ सम्मान' से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने उनके सरल, सहज, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व की सराहना की।

शिक्षा के साथ संस्कारों पर जोर

वक्ताओं ने कहा कि डॉ. दुबे ने शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में शुचिता, अनुशासन और संस्कारों के विकास पर विशेष जोर दिया है। श्रीरामचरितमानस, संस्कृत एवं विभिन्न काव्य ग्रंथों पर उनकी गहरी पकड़ उनके विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाती है। योग को जीवन की समग्र पद्धति बताते हुए उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

साहित्य समाज को दिशा देने का माध्यम

सम्मेलन में 'साहित्य, संस्कृति, संस्कार और संयम' विषय पर सारगर्भित चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली सशक्त विधा है। साहित्य के माध्यम से विचार, संवेदना, संस्कार और मानवीय मूल्यों का निर्माण होता है। वक्ताओं ने बदलते सामाजिक परिवेश में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक संस्कारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा के साथ हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना समय की जरूरत है।

जगत शर्मा को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार जगत शर्मा को जन्मदिन पर साहित्यकारों एवं साहित्यप्रेमियों ने शुभकामनाएं दीं। उपस्थित लोगों ने पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन योगदान की सराहना करते हुए स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता संजय मेहता, डॉ. मीनू पांडे, डॉ. कमलेश शर्मा, डॉ. आर.पी. गुप्ता, साहित्यकार दिनेश प्रभात सहित अनेक साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद एवं साहित्यप्रेमी मौजूद रहे। सम्मेलन में हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने तथा साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक चेतना के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

बाजारों में अब सुबह 11 बजे तक और रात 8 बजे के बाद ही माल लोडिंग-अनलोडिंग पर सहमति

व्यापारियों के साथ प्रशासन और यातायात पुलिस ने की बैठक, किला चौक सहित प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण

पीपुल्स प्रवक्ता, दतिया।

शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन और यातायात पुलिस ने सोमवार को व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाजारों में दुकानों के माल की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए समय निर्धारित करने के प्रस्ताव पर व्यापारियों ने सहमति जताई। तहसीलदार अजय झा एवं यातायात प्रभारी हिमांशु तिवारी की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रशासन और यातायात पुलिस ने प्रस्ताव रखा कि शहर के व्यस्ततम बाजारों में माल की लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 11 बजे तक तथा रात 8 बजे के बाद की जाए। व्यापारियों ने प्रस्ताव पर आम सहमति जताई। अब यातायात पुलिस द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर औपचारिक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बैठक के बाद प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम ने किला चौक क्षेत्र में यातायात बाधित करने वाले स्थानों का निरीक्षण किया। टीम ने टाउन हॉल स्थित पार्किंग स्थल, पटवा तिराहा स्थित विवेकानंद पार्किंग के आसपास का क्षेत्र, किला चौक तथा दरगाह के पास के क्षेत्र का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण और यातायात में बाधा बनने वाले स्थानों को चिन्हित किया गया। इन स्थानों पर प्रशासन, यातायात पुलिस और संबंधित पक्षों के समन्वय से सामूहिक कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई। बैठक एवं निरीक्षण के दौरान तहसीलदार दतिया अजय झा, आरआई राजस्व, यातायात प्रभारी हिमांशु तिवारी, सूबेदार नईम खान सहित व्यापारी वर्ग से अमित कुमार गुप्ता, राजू गुर्गोरिया, राजू नगरिया, संजय सिजरिया, घनश्याम रतनाणी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। यातायात पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से यातायात व्यवस्था सुधारने में सहयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

हनुमान मंदिर के पास विवाद में फायरिंग, जान से मारने की धमकी देने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

पीपुल्स प्रवक्ता, दतिया।

ग्राम जनकपुर में टिल्लू चोरी की बात को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग कर युवक को जान से मारने की धमकी देने के मामले में उनाव पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे/निशानदेही से दो 315 बोर के कट्टे और दो जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

यात्री प्रतीक्षालय में हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर 2026 को जनकपुर निवासी सत्यम यादव (22) ने उनाव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी के मुताबिक, ग्राम जनकपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास यात्री प्रतीक्षालय में टिल्लू चोरी की बात को लेकर आरोपियों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने कट्टे से फायरिंग की और उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर उनाव थाने में अपराध क्रमांक 161/2026 दर्ज कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम कर जांच शुरू की गई।

पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर पकड़ा

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए राजा गुर्जर, हिमांशु सेन, राज गुर्जर, दीपेश परिहार और आदर्श सेन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही/कब्जे से घटना में इस्तेमाल 02 नग 315 बोर के कट्टे एवं 02 जिंदा कारतूस विधिवत जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला एवं एसडीओपी भांडेर पूनम चंद यादव के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी उनाव उप निरीक्षक अंशुल अरोरा, प्रधान आरक्षक रामनिवास गुर्जर, आदित्य शर्मा, के.डी. राय, आरक्षक भूपेंद्र, मोहित, दीपांशु, विपिन, विकास, कुलदीप एवं दर्शन सहित थाना उनाव के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अशोक नगर जिले में अवैध मदिरा के विक्रय एवं उपभोग की दे सकते है जानकारी

पीपुल्स प्रवक्ता, अशोक नगर।

सागर जिले में अवैध / जहरीली शराब के उपभोग से हुई जनहानि को देखते हुये कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा जिले में अवैध मदिरा के आसवन, संग्रह, परिवहन एवं उपभोग पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश जारी किये गए है। प्राप्त निर्देशो के पालन में जिलेवासियों को सूचित किया गया है कि उन्हें जिले में अवैध मदिरा के विक्रय एवं उपभोग की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय जिला अशोकनगर, अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, ईसागढ़ एवं जिला आबकारी कार्यालय अशोकनगर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोकनगर मो. नम्बर 7000214920, सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत चंदेरी/ईसागढ़ मों. नम्बर 9425763717, आबकारी उपनिरीक्षक वृत अशोकगनर मों. नम्बर 8269136190, आबकारी उपनिरीक्षक वृत मुगांवली मों. नम्बर 9755722242 एवं संबंधित पुलिस थानों पर सूचित करें। आपकी सूचना को गोपनीय रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त भी जिले में आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

नशे के अवैध कारोबार पर अशोकनगर पुलिस का प्रहार

700 ग्राम अवैध गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

पीपुल्स प्रवक्ता, अशोक नगर।

मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अशोकनगर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है । पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।इन्हीं निर्देशों के क्रम में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत अशोकनगर पुलिस द्वारा ड्रग हॉट स्पॉट एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी, चेकिंग एवं भ्रमण किया जा रहा है ।ड्रग हॉट स्पॉट पर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा - अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के चिन्हित ड्रग हॉट स्पॉट एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार चेकिंग एवं भ्रमण किया जा रहा था । इसी दौरान पड़रिया रोड स्थित निर्माणाधीन स्कूल के पास खाली पड़े ग्राउण्ड में एक व्यक्ति सफेद रंग का प्लास्टिक का थैला लेकर संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति ने मौके से भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सतर्कता से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रविन्द्र पुत्र लखन कुशवाह, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बामोर खुर्द, थाना इंदार, जिला शिवपुरी बताया । तलाशी में मिला 700 ग्राम गांजा - स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में आरोपी के कब्जे वाले प्लास्टिक के थैले की विधिवत तलाशी लेने पर पारदर्शी पन्नी में हरे रंग का गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ । इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से तौल करने पर पन्नी सहित कुल 700 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 14,000 पाई गई ।

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, मूल चंद बसोर आ. श्री लल्ली बसोर आयु वयस्क, निवासी-184/3, पतलोनी म.नं. 133 से 241 तक, ग्राम पतलोनी, तेजगढ़, तेन्दूखेडा, जिला दमोह, म.प्र. है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पारशनाथ पांडे आ. श्री रामकृष्ण पांडे (PARASHNATH PANDEY S/O RAMKRISHNA PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम मूल चंद बसोर आ. श्री लल्ली बसोर (MOOL CHAND BASOR S/O LALLEE BASOR) है जो कि मेरे मूल निवासी में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मूल चंद बसोर आ. श्री लल्ली बसोर (MOOL CHAND BASOR S/O LALLEE BASOR) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-पारशनाथ पांडे आ. श्री रामकृष्ण पांडे (PARASHNATH PANDEY S/O RAMKRISHNA PANDEY)
नया नाम-मूल चंद बसोर आ. श्री लल्ली बसोर (MOOL CHAND BASOR S/O LALLEE BASOR)

भवदीय
मूल चंद बसोर आ. श्री लल्ली बसोर निवासी-184/3, पतलोनी म.नं. 133 से 241 तक, ग्राम पतलोनी, तेजगढ़, तेन्दूखेडा, जिला दमोह, म.प्र.

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र आ. श्री मूलचंद आयु वयस्क, निवासी-184/3, पतलौनी मकान नंबर 133 से 241 तक, ग्राम पतलोनी, तेजगढ़, तेन्दूखेडा, जिला दमोह, म.प्र. है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पुष्पेन्द्र आ. श्री मूलचंद बसोर (PUSHPENDRA S/O MOOLCHAND BASOR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम नरेन्द्र आ. श्री मूलचंद (NARENDRA S/O MOOLCHAND) है जो कि मेरे वोटर आई.डी. में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम नरेन्द्र आ. श्री मूलचंद (NARENDRA S/O MOOLCHAND) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-पुष्पेन्द्र आ. श्री मूलचंद बसोर (PUSHPENDRA S/O MOOLCHAND BASOR)
नया नाम-नरेन्द्र आ. श्री मूलचंद (NARENDRA S/O MOOLCHAND)

भवदीय
नरेन्द्र आ. श्री मूलचंद निवासी-184/3, पतलौनी मकान नंबर 133 से 241 तक, ग्राम पतलोनी, तेजगढ़, तेन्दूखेडा, जिला दमोह, म.प्र.

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, सिपाही पाल आ. श्री बिशाली पाल आयु वयस्क, निवासी-म.नं. 135, ग्राम पटना, पोस्ट गुधोरा, छतरपुर, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश वीरेंद्र पाल आ. श्री शिवपाल पाल (VEERENDRA PAL S/O SHIVPAL PAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम अंशुल पाल आ. श्री सिपाही पाल (ANSHUL PAL S/O SIPAHI PAL) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अंशुल पाल आ. श्री सिपाही पाल (ANSHUL PAL S/O SIPAHI PAL) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-वीरेंद्र पाल आ. श्री शिवपाल पाल (VEERENDRA PAL S/O SHIVPAL PAL)
नया नाम-अंशुल पाल आ. श्री सिपाही पाल (ANSHUL PAL S/O SIPAHI PAL)

भवदीय
सिपाही पाल आ. श्री बिशाली पाल निवासी-म.नं. 135, ग्राम पटना, पोस्ट गुधोरा, छतरपुर, म.प्र.

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, रामस्वरूप आ. श्री द्वारकाप्रसाद, आयु वयस्क, निवासी-बांसादेही, भोजपुर, रायसेन, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश राघवेन्द्र आ. श्री रामस्वरूप (RAGHVENDRA S/O RAMSVAROOP) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम रवींद्र कुमार आ. श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव (RAVEENDRA KUMAR S/O RAMSARUP SHREEVASTAV) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम रवींद्र कुमार आ. श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव (RAVEENDRA KUMAR S/O RAMSARUP SHREEVASTAV) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-राघवेन्द्र आ. श्री रामस्वरूप (RAGHVENDRA S/O RAMSVAROOP)
नया नाम-रवींद्र कुमार आ. श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव (RAVEENDRA KUMAR S/O RAMSARUP SHREEVASTAV)

भवदीय
रामस्वरूप आ. श्री द्वारकाप्रसाद, निवासी-बांसादेही, भोजपुर, रायसेन, म.प्र.

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, ममता बाई पत्नी श्री शिवलाल, आयु वयस्क, निवासी-सुरजाटोला, ग्राम पंचायत मोहगांव, जनपद पंचायत, लाल बर्रा, जिला बालाघाट, म.प्र. है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश ज्ञानवंती पत्नी श्री शिवलाल (GYANVANTI W/O SHIVLAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम ममता बाई पत्नी श्री शिवलाल (MAMTA BAI W/O SHIVLAL) है जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम ममता बाई पत्नी श्री शिवलाल (MAMTA BAI W/O SHIVLAL) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-ज्ञानवंती पत्नी श्री शिवलाल (GYANVANTI W/O SHIVLAL)
नया नाम-समता बाई पत्नी श्री शिवलाल (MAMTA BAI W/O SHIVLAL)

भवदीय
ममता बाई पत्नी श्री शिवलाल निवासी-सुरजाटोला, ग्राम पंचायत मोहगांव, जनपद पंचायत, लाल बर्रा, जिला बालाघाट, म.प्र.

जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई, नौ प्रकरणों में भारी मात्रा में मदिरा जप्त

सीहोर। कलेक्टर बालागुरु के. के. निर्देशानुसार जिला आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी दीपसिंह राठौर ने बताया कि दिनांक 07 सितंबर 2026 को जिला आबकारी बल के सहयोग से वृत्त आष्टा में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 09 प्रकरण कायम कर 93 पाव देशी मदिरा, 07 बोतल विदेशी मदिरा, 12 बोतल बीयर, 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा तथा 105 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिभा लोधी पत्नी अनिल लोधी निवासी-मकान नं.17, चित्रकूट कालोनी नियर मित्तल कालेज भोपाल म.प्र.। मेरे शासकीय दस्तावेज आधार क्रमांक-270993934961 एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक- 39 दिनांक-24/10/2019 अनुसार मेरा नाम प्रतिभा लोधी पत्नी अनिल लोधी है जो सत्य व सही है किन्तु विवाह से पूर्व मेरे शासकीय सभी दस्तावेजों पेन कार्ड, अंक सूची परिचयपत्र इत्यादि में मेरा नाम- प्रतिभा नरवरिया पुत्री रमेश चंद्र नरवरिया अंकित है। अब से विज्ञापन उपरान्त मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में सुधार कर सही नाम प्रतिभा लोधी (PRATIBHA LODHI) पत्नी अनिल लोधी (ANIL LODHI) के नाम से ही जाना पहचाना लिखा पढ़ा जाये।
PRATIBHA LODHI
W/O ANIL LODHI

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं की मै मुकेश मीणा आत्मज पदम सिंह मीणा आयु वयस्क निवासी ग्राम भादाकुई तहसील भैरुदा जिला सीहोर, मध्यप्रदेश हूँ। यह की मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम नितिन मीणा पिता मुकेश मीणा (NITIN MEENA S/O MUKESH MEENA) हैं। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश केशव पिता मुकेश कुमार (चथ्श्र‖ङ्क श्र/ह श्च्थ्श्र‖ चरु) लिखा गया हैं जो की गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र एवं कक्षा 8 वीं की अंकसूची मे दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे में मेरे पुत्र के आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय / शैक्षणिक / अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की नितिन मीणा पिता मुकेश मीणा (NITIN MEENA S/O MUKESH MEENA) व केशव पिता मुकेश कुमार (KESHAV S/O MUKESH KUMAR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरे पुत्र के ही नाम हैं।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके वास्तविक सही नाम नितिन मीणा पिता मुकेश मीणा (NITIN MEENA S/O MUKESH MEENA) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम-केशव पिता मुकेश कुमार (KESHAV S/O MUKESH KUMAR)
नया नाम-नितिन मीणा पिता मुकेश मीणा (NITIN MEENA S/O MUKESH MEENA)

भवदीय
मुकेश मीणा आत्मज पदम सिंह मीणा निवासी ग्राम भादाकुई तहसील भैरुदा जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं की मैं शिव प्रसाद यादव आत्मज लखन यादव आयु वयस्क निवासी ग्राम कोटरी, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश हूँ। यह की मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम श्रध्दा पिता शिवप्रसाद (SHRADDHA D/O SHIV-PRASAD) हैं । परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश श्रधा यादव पिता शिव प्रसाद यादव (SHARHA YADAV D/O SHIV PRASAD YADAV) दर्ज हो गया हैं जो की गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम मेरी पुत्री की कक्षा 10 वीं की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित हैं। जिसे में मेरी पुत्री के आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय / शैक्षणिक । अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की श्रध्दा पिता शिवप्रसाद (SHRADDHA D/O SHIV-PRASAD) व श्रधा यादव पिता शिव प्रसाद यादव (SHARHA YADAV D/O SHIV PRASAD YADAV) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरी पुत्री के ही नाम हैं ।

प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके वास्तविक सही नाम श्रध्दा पिता शिवप्रसाद (SHRADDHA D/O SHIV-PRASAD) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम-श्रधा यादव पिता शिव प्रसाद यादव (SHARHA YADAV D/O SHIV PRASAD YADAV)
नया नाम-श्रध्दा पिता शिवप्रसाद (SHRADDHA D/O SHIVPRASAD)

भवदीय
शिव प्रसाद यादव आत्मज लखन यादव निवासी ग्राम कोटरी, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं की मैं शिवराज मीणा पिता लाला राम मीणा आयु वयस्क निवासी ग्राम देहरी कराड़ खुजनेर जिला राजगढ़, मध्यप्रेदश हूँ यह की मेरा वास्तविक सही नाम शिवराज मीणा पिता लाला राम मीणा (SHIVRAJ MEENA S/O LALA RAM MEENA) हैं परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जसवंत सिंह पिता हरी सिंह (JASWANT SINGH S/O HARI SINGH) लिखा गया हैं जो की गलत है मेरा वास्तविक सही नाम मेरे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसे में मेरे आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय / शैक्षणिक / अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ यह की शिवराज मीणा पिता लाला राम मीणा (SHIVRAJ MEENA S/O LALA RAM MEENA) व जसवंत सिंह पिता हरी सिंह (JASWANT SINGH S/O HARI SINGH) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरे ही नाम हैं।

प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे वास्तविक सही नाम शिवराज सिंह पिता लाला राम (SHIVRAJ SINGH S/O LALA RAM) से जाना पहचाना एवं पढां जावे ।

पुराना नाम-जसवंत सिंह पिता हरी सिंह (JASWANT SINGH S/O HARI SINGH)
नया नाम-शिवराज मीणा पिता लाला राम मीणा (SHIVRAJ MEENA S/O LALA RAM MEENA)

भवदीय
शिवराज मीणा पिता लाला राम मीणा ग्राम देहरी कराड़ खुजनेर जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं की मैं संतोष कुमार बाथम पिता छोटेलाल आयु वयस्क निवासी 9, सेवड़ा, वार्ड नं. 01, सेवड़ा, सेवढा जिला दतिया मध्यप्रदेश हूँ। यह की मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम नैतिक बाथम पिता संतोष कुमार बाथम (NAITIK BATHAM S/O SANTOSH KUMAR BATHAM) हैं। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश नितिक कुमार मांझी पिता संतोष कुमार बाथम (NITIK KUMAR MANJHI S/O SANTOSH KUMAR BATHAM) लिखा गया हैं जो की गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र एवं कक्षा 8 की अंकसूची मे दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे में मेरे पुत्र के आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय /शैक्षणिक / अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की नैतिक बाथम पिता संतोष कुमार बाथम (NAITIK BATHAM S/O SANTOSH KUMAR BATHAM) एवं नीतिक कुमार मांझी पिता संतोष कुमार बाथम (NITIK KUMAR MANJHI S/O SAN-TOSH KUMAR BATHAM) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरे पुत्र के ही नाम हैं।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके वास्तविक सही नाम नैतिक बाथम पिता संतोष कुमार बाथम (NAITIK BATHAM S/O SANTOSH KUMAR BATHAM) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम-नितिक कुमार मांझी पिता संतोष कुमार बाथम (NITIK KUMAR MANJHI S/O SANTOSH KUMAR BATHAM)
नया नाम-नैतिक बाथम पिता संतोष कुमार बाथम (NAITIK BATHAM S/O SANTOSH KUMAR BATHAM)

भवदीय
संतोष कुमार बाथम पिता छोटेलाल निवासी 9, सेवड़ा, वार्ड नं. 01, सेवड़ा, सेवढा जिला दतिया

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं। की मै कमल मालवीय पिता विक्रम सिंह आयु वयस्क, निवासी ग्राम चौकी हिदायतपुर, पोस्ट किलोदा तहसील गुलाना, किलोदा, किल्लोदा, जिला शाजापुर मध्यप्रेदश का हूँ। यह की मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम भाव्यांशी मालवीय पिता कमल मालवीय (BHAVYANSHI MALVIYA D/O KAMAL MALVIYA) हैं। परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश भूमिका पिता कमल (BHUMIKA D/O KAMAL) लिखा गया हैं। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित हैं। जिसे में मेरी पुत्री के आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय / शैक्षणिक / अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ यह की भाव्यांशी मालवीय पिता कमल मालवीय (BHAVYANSHI MALVIYA D/O KAMAL MALVIYA) व भूमिका पिता कमल (BHUMIKA D/O KAMAL) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरी पुत्री के ही नाम हैं।

प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके वास्तविक सही भाव्यांशी मालवीय पिता कमल मालवीय (BHAVYANSHI MALVIYA D/O KAMAL MALVIYA) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे ।

पुराना नाम-भूमिका पिता कमल (BHUMIKA D/O KAMAL)
नया नाम-भाव्यांशी मालवीय पिता कमल मालवीय (BHAVYANSHI MALVIYA D/O KAMAL MALVIYA)

भवदीय
भाव्यांशी मालवीय पिता कमल मालवीय निवासी ग्राम चौकी हिदायतपुर, पोस्ट किलोदा तहसील गुलाना, किलोदा, किल्लोदा, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

जाहिर सूचना / नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं समसु डामोर, पिता जामुसिंह, ग्राम गोरियाखांदान, काकनवानी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश 457777, यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम ममता डामोर (MAMTA DAMOR) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम MANGA DAMOR अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्री का वास्तविक व सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक/अशैक क्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की MANGA DAMOR व ममता डामोर (MAMTA DAMOR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्री के है।

प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्री को उसके वास्तविक व सही नाम ममता डामोर (MAMTA DAMOR) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम MANGA DAMOR
नया नाम-ममता डामोर (MAMTA DAMOR)

गाडरवारा में कुकुरमुत्तों की तरह उगे कोचिंग सेंटर, बिना मान्यता के चल रही शिक्षा की दुकानें

स्कूल में नहीं पढ़ाते शिक्षक, ट्यूशन के लिए बनाते हैं दबाव; पालकों की जेब पर डाका, प्रशासन मौन

पीपुल्स प्रवक्ता, गाडरवारा।

गाडरवारा शिक्षा माफियाओं का नया अड्डा बनता जा रहा है। शहर के स्टेशन रोड, साईं मंदिर रोड, विजय कॉलोनी, भामा कॉलोनी और साली चौका सहित गली-मोहल्लों में बिना किसी मान्यता, बिना फायर सेफ्टी और बिना योग्य शिक्षकों के सैकड़ों कोचिंग सेंटर और ट्यूशन अड्डे धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।

IAS-IPS बनाने का झांसा, पढ़ा रहे 12वीं पास ट्यूटर: इन कोचिंग सेंटरों के बाहर बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं - बैंक PO, रेलवे, SSC, IAS, IPS की तैयारी। अंदर जाकर देखो तो 12वीं पास युवक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पालकों को कम फीस में बड़े सपने दिखाकर फंसाया जाता है। सालाना 10 से 20 हजार रुपये का पैकेज लिया जाता है और 6 महीने बाद सेंटर बंद कर दूसरा बोर्ड लगा दिया जाता है।

स्कूलों की मिलीभगत से चल रहा खेल: सबसे बड़ा खेल निजी स्कूलों के शिक्षकों का है। गाडरवारा के 3 बड़े निजी स्कूलों के शिक्षक स्कूल में कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं। क्लास में बच्चों को धमकाया जाता है - ट्यूशन नहीं आओगे तो प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा, नंबर काट दूंगा। डरा हुआ बच्चा घर जाकर जिद करता है और गरीब पालक को मजबूरी में ट्यूशन लगवाना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ शासकीय शिक्षक भी ड्यूटी के बाद शाम को कोचिंग चला रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।

कोचिंग के बाहर अपराध का अड्डा: इन सेंटरों पर न तो CCTV है, न ही छात्राओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम। शाम 6 बजे के बाद इन अड्डों के बाहर मनचलों का जमावड़ा लगता है। छात्र-छात्राओं पर फब्तियां कसना, बाइक से तेज रफ्तार में स्टंट करना आम बात हो गई है। कई बार छेड़खानी की घटनाएं रंजिश और मारपीट तक पहुंच जाती हैं।

क्या कहते हैं नियम: नियमानुसार किसी भी कोचिंग सेंटर को नगर पालिका और शिक्षा विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है, फायर NOC, योग्य शिक्षकों की सूची और फीस स्ट्रक्चर बोर्ड पर लगाना जरूरी है। लेकिन गाडरवारा में 90त्न सेंटरों के पास कुछ भी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर समय रहते इन अवैध ट्यूशन अड्डों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो गरीब बच्चों का भविष्य और पालकों की मेहनत की कमाई दोनों बर्बाद होती रहेगी। गाडरवारा में 200 और 500 रुपए के स्टांप गायब, वेंडरों की चांदी - 500 का **स्टांप 650 में बेचने का आरोप:** गाडरवारा में 50 और 100 रुपए के बाद अब 200 और 500 रुपए के स्टांप की भी भारी किल्लत पैदा हो गई है। जमीन की रजिस्ट्री, किराएनामा, शपथ पत्र और एग्रीमेंट के लिए जरूरी इन स्टांपों की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टांप वेंडर 200 रुपए के स्टांप के 250 से 300 रुपए और 500 रुपए के स्टांप के 600 से 650 रुपए तक वसूल रहे हैं।